बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०–17/एल 1–19/2025 **पटना, दिनांक :– / /2026**

डा० राजीव कुमार रजक, प्राध्यापक, हड्डी रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को विभागीय आदेश संख्या–963(17) दिनांक–22.08.2025 द्वारा दिनांक–20.08 2025 से 07.09.2025 तक की अवधि में विदेश (कनाडा) यात्रा हेतु विभागीय अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. डा० रजक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के माध्यम से सूचित किया गया है कि वीजा नही मिलने के कारण उक्त विदेश यात्रा नहीं की जा सकी है। अतः विभागीय आदेश सख्या–963(17) दिनांक–22.08.2025 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–963(17) दिनांक–22.08 2025 को निरस्त किया जाता है।

4 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–17/एल 1–19/2025– 1463(17) **पटना, दिनांक :–** 05/11/**2026**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण/डा० राजीव कुमार रजक, प्राध्यापक, हड्डी रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Reenu Kumari 05/11/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।